

जीसियो नियम फार्मूला मीडिया ब्यापार कार्ड का प्रारूप

1. रूपया नोट का चलन बन्द होकर । रूपया नोट की जगह । एम बी कार्ड यानी । मीडिया ब्यापार कार्ड का चलन होगा ।
2. एम बी कार्ड एक । इलेक्ट्रानिक डिवाइस होगा । जो आसानी से । जेब रखा जा सके ।
3. एम बी कार्ड मे । ज्यादा मेमोरी डेटा होगा । शुरुवात कम से कम 100 जी बी से होगी । जरूरत पडने पर और बढ़ाई जायेगी ।
4. व्यापार करने वाले व्यक्ति के एम बी कार्ड मे । व्यापार के हिसाब से । जी बी बढ़ाई जायेंगी ।
5. एम बी कार्ड मे । वर्ष । महीना । दिन । घन्टा । मिनट । सेकेन्ड । अनवरत चालू रहेंगे ।
6. एम बी कार्ड मे एक कैमरा होगा । जो किसी वस्तु के खरीदी के समय । जरूरत पडने पर । फोटो ली जा सके ।
7. एम बी कार्ड । इंटरनेट व्दारा । संचालित होगा ।
8. हर एम बी कार्ड का । अलग अलग नं होगा । जैसा मोबाइल का होता है ।
9. हर एम बी कार्ड मे । बी कार्ड धारक का फोटो । डिस्प्ले पर रहेगा ।
10. एम बी कार्ड क्षेत्र के अनुसार । अलग अलग भाषाओं मे होंगे ।
11. एम बी कार्ड मे जमा हुई । कोई भी जानकारी अमिट होगी । उसे मिटाया नही जा सकता । उसमे डिलीट । य इरेजर । का कोई बटन नही होगा ।
12. एम बी कार्ड नस्ट होने पर भी । इंटरनेट पर । सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी ।
13. जो भारत सरकार के अधिकार मे होगा । सरकार से आग्रह करके । दूसरा एम बी कार्ड । बनाया जा सकता है ।
14. एम बी कार्ड मे मोबाइल जैसा डिस्प्ले होगा । और मोबाइल जैसे बटन होंगे ।
15. जिसमे नागरिक अपनी जमा धनराशी चेक कर सकता है । अपनी पुरानी अन्य जानकारी पढ सकता है । संदेश भेज सकता है। संदेश पढ सकता है ।
16. एम बी कार्ड मे । सिर्फ + धन का बटन होगा । - माइनस का बटन नही होगा ।
17. एम बी कार्ड । बिना धन देने की वजह बताये । सिर्फ धन अंक । अंकित नही करेगा ।
18. व्यक्ति अपने एम बी कार्ड से । किसी भी कार्ड मे । किसी भी कार्ड से । एम बी कार्ड मे धन । हस्तांतरण ट्रांसफर कर सकता है ।
19. एम बी कार्ड मे सिर्फ । टेक्स अदा किया हुआ धन । ही जमा होगा ।
20. एम बी कार्ड । 21 वर्ष पूर्ण होने के बाद बनेगा ।
21. व्यक्ति के । सभी कार्डों मे । सभी कार्डों के नं । व मोबाइल नं । अंकित होना अनिवार्य है ।

22. ताकि व्यक्ति के कार्डों के । गुम हो जाने पर । आसानी से मिल सके ।

एम बी कार्ड से ब्यापार

1. कोई भी । सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड व्दारा ही । खरीदा जा सकती है । और सामान और सुविधायें । सिर्फ कार्ड व्दारा ही । बेची जा सकती है ।
2. एक ब्यापार के लिए । एक ही एम बी कार्ड होगा ।
3. अलग अलग ब्यापार के लिए । अलग अलग एम बी कार्ड होंगे ।
4. यदि किसी व्यापारी के । एक ही व्यापार की । भारत मे । 500 शाखायें हैं । तो उस व्यापारी को । 500 य उससे अधिक । एम बी सम कार्ड मिलेंगे ।
5. जो एक एक शाखा अधिकारी को । एक एक एम बी सम कार्ड दिया जाएगा ।
6. जिससे शाखा अधिकारी । शाखा का संचालन करेगा । और लेन देन करेगा । जिसकी हर जानकारी एम बी कार्ड धारक को होगी ।
7. व्यापारी एम बी कार्ड से ही । सामान खरीदेगा । और बी कार्ड से ही सामान बेचेगा ।

एम बी कार्ड मे कर्मचारी

1. व्यापारी के एम बी कार्ड मे । व्यापार मे लगे सभी कर्मचारियों का । पूरा बायोडाटा । पी कार्ड नम्बर के साथ दर्ज होगा ।
2. बी एम कार्ड से ही । कर्मचारियों को बेतन । मजदूरी दी जायेगी ।
3. बी एम कार्ड मे । नागरिक की रोज कि । आमदनी जमा । खर्चा निकासी का व्योरा जमा होगा ।
4. एक व्यक्ति के अगर । कई एम बी कार्ड हैं । तो व्यक्ति एक । एम बी कार्ड से । दूसरे । एम बी कार्ड मे । धन हस्तांतरण । ट्रांसफर कर सकता है ।
5. एम बी कार्ड मे सिर्फ । टेक्स अंदा किया हुआ धन ही जमा होगा ।

भारत का धन

1. एम बी कार्ड से । भारत का धन । एम बी कार्ड से । लेन देन । भारत की सीमा के अंदर । भारतीय नागरिक से । भारत के किसी भी कार्ड से ही । लेन देन किया जा सकता है ।
2. एम बी कार्ड से । भारत का धन को । भारत के बाहर । विदेश के । किसी भी कार्ड से । लेन देन नहीं । किया जा सकता है ।
3. एम बी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । नहीं भेजा जा सकता ।
4. एम बी कार्ड से । भारत का धन । भारत के सीमा के बाहर । विदेश के । किसी भी बैंक मे । नहीं जमा । किया जा सकता ।

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

5. एम बी कार्ड से । भारत का धन । भारत की सीमा के बाहर । धन भेजने के लिए । एम बी कार्ड से । अंकित वैध धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । उस देश में । चलित नोट रूपया ही । भेजे जा सकते हैं ।

विदेश का धन

1. बी एम कार्ड में । विदेश का धन । भारत की सीमा के । बाहर का धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में । जमा करके । धन को बी एम कार्ड में । अंकित कराना होगा ।
2. बी एम कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । किसी भी बैंक का धन । सीधे सीधे । बी एम कार्ड में । अंकित । जमा नहीं होगा ।
3. बी एम कार्ड में । विदेश का धन । भारत के सीमा के बाहर के । विदेश के । किसी भी बैंक से । धन । भारत लाने के लिए । धन को । भारत के विदेश मंत्रालय में जमा करके । धन को बी एम कार्ड में । अंकित । जमा कराना होगा ।

बी कार्ड धारक को अधिक जमीन

1. बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । अधिक जमीन उपयोग करने के लिए । भारत सरकार नगर पालिका से । सरकारी मदद अधिक जमीन मिलेगी ।
2. उस अधिक जमीन का । बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । रु स्क्वायर फिट के हिसाब से 1 क जमीन का किराया । भारत सरकार नगर पालिका के । एन हर महीने । बी कार्ड से । अधि कार्ड में जमा करना होगा ।

अधिक जमीन का निर्माण कार्य व खर्चा

1. अधिक जमीन को । बी कार्ड धारक । आजीवन के लिए ले सकता है । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया देकर ।
2. अधिक जमीन का निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा । बी कार्ड धारक । स्वयं करवायेगा । भारत सरकार का अधिक जमीन के । निर्माण कार्य । व मरम्मत खर्चा में । कोई योगदान नहीं होगा ।

बी कार्ड से 1 दुकान य प्राइवेट नौकरी

1. और बी कार्ड अंकित । 1 दुकान । य प्राइवेट नौकरी मिलेगी । इतना ही वैध होगा । इससे अधिक अवैध दुकान पर । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
2. बी कार्ड धारक । भारतीय नागरिक को । अधिक जमीन उपयोग करने के लिए । भारत सरकार नगर पालिका से । सरकारी मदद अधिक जमीन मिलेगी ।
3. उस अधिक जमीन का । बी कार्ड धारक भारतीय नागरिक को । 1 रु स्क्वायर फिट के हिसाब से हर महीने । बी कार्ड से । अधिक जमीन का किराया । भारत सरकार नगर पालिका के । एन कार्ड में जमा करना होगा ।

एम बी कार्ड धारक व्यक्ति को बैंक का कर्जा

1. एम बी कार्ड धारक को । यदि धन की आवश्यकता है । तो बैंक नियमानुसार । बैंक घण्टे 24 धन ले सकता है ।
2. व्यक्ति । धन ब्याज के साथ । बैंक का कर्जा बैंक के एकाउन्ट मे । एम बी कार्ड व्दारा वापस करेगा ।
3. व्यक्ति सिर्फ बैंक से ही धन ले सकता है । किसी भी व्यक्ति से धन नहीं ले सकता ।
4. एम बी कार्ड आने से । नगद धन । हाथ से हाथ धन देने की । सुविधा बन्द हो जाएगी ।

एम बी कार्ड से जन कल्याण

1. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । देश हित मे खर्चा कर सकता है । य भारत सरकार के एन कार्ड मे दान कर सकता है ।
2. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । जन कल्याण मे खर्चा कर सकता है । कुँवा । तालाब । बावडी । प्याऊ । पेड । पुस्तक य अखबार वाचनालय । सडकों य सार्वजनिक स्थलों पर छाया दार कुर्सियां । य सार्वजनिक खेल समारोहों का आयोजन । आदि अन्य जन कल्याण मे खर्चा कर सकता है ।
3. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । सार्वजनिक लडकियों की शादी का समारोह । आयोजित कर सकता है ।
4. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । सार्वजनिक भोजन समारोह मे । खाना खिला सकता है ।
5. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । भूकंप । बाढ । सुनामी । जैसी य अन्य आपदाओं पर खर्चा कर सकता है ।
6. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी धार्मिक कार्य का । आयोजन कर सकता है ।
7. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी धार्मिक स्थल मे । दान कर सकता है ।
8. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । किसी भी मरीज के दवाई । य इलाज पर खर्चा कर सकता है ।
9. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । मरीज ब्यक्ति की धन से । मदद कर सकता है ।
10. भारत का कोई भी नागरिक । किसी भी कार्ड से । मरीज ब्यक्ति को दान के तौर पर । धन दे सकता है । य इलाज का पूरा खर्चा उठा सकता है ।

मरीज ब्यक्ति को दान देने के नियम

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

1. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । दान य मदद धन । मरीज ब्यक्ति के पी कार्ड मे ही । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
2. मरीज ब्यक्ति । अपने पी कार्ड से । डॉक्टर के यू कार्ड मे । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।
3. दान कर्ता य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे डॉक्टर के यू कार्ड मे । मरीज सेवा धन । य दवाइयों का खर्चा आदि । नही जमा कर सकता ।
4. दान कर्ता य मदद कर्ता । जरूरत मंद ब्यक्ति के सिर्फ पी कार्ड मे ही मदद धन हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । किसी अन्य कार्ड मे नही हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है ।

जेल मे बंद व्यक्ति को दान देने के नियम

1. परिवार । य रिस्तेदार । य दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । दान । य मदद धन । जेल मे बंद ब्यक्ति के । उसी कार्ड मे ही हस्तान्तरण ट्रान्सफर कर सकता है । जिस कार्ड का कर्जा है ।
2. जेल मे बंद ब्यक्ति । अपने उसी कार्ड से । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के । बी य एन कार्ड मे ही जमा करेगा ।
3. परिवार । य रिस्तेदार । य दान कर्ता । य मदद कर्ता । अपने किसी भी कार्ड से । सीधे सीधे मे । बैंक का धन ब्याज के साथ । बैंक के बी य एन कार्ड मे । नही जमा कर सकते ।

एम बी कार्ड से लेन देन के नियम

1. लेन देन के नियम – उदाहरण – माना कि सुरेश का एम बी कार्ड नं 12345 है । और अली का बी कार्ड नं 67890 है ।
2. अली । सुरेश को 1000 रु देना चाहता है । तो अली अपने बी कार्ड । मे सुरेश का एम बी कार्ड नं 12345 +1000 रु + धन देने की वजह अंकित करेगा । फिर ओके करेगा ।
3. तो अली के बी कार्ड से । सुरेश के कार्ड में 1000 रु जमा हो जाएंगे ।
4. लेकिन अली । सुरेश के कार्ड से रु - माइनस नही कर सकता । क्योंकि बी कार्ड मे - माइनस का बटन होगा ही नही ।
5. कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से । दूसरे के कार्ड से धन नही ले सकता । जब सामने वाला देगा । तभी मिलेगा ।
6. एम बी कार्ड से सिर्फ । धन दिया जा सकता है । धन मंगाया नही जा सकता ।

एम बी कार्ड का धन जमा बाक्स

1. एम बी कार्ड मे 1 धन जमा बाक्स होगा ।

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

2. एम बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।
3. एम बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो एम बी कार्ड प्रदर्शित होगा
4. एम बी कार्ड के धन जमा बाक्स मे । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । एम बी कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
5. एम बी कार्ड मे जमा किया हुआ धन । सिर्फ धन जमा बाक्स मे ही । जमा होगा । खर्चा बाक्स मे जमा नहीं होगा ।

एम बी कार्ड का खर्चा बाक्स

1. एम बी कार्ड मे 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. एम बी कार्ड के खर्चा बाक्स मे । यदि 100 रु रखा गया है । तो एम बी कार्ड खर्चा बाक्स से । 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही एम बी कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो । यदि एम बी कार्ड । किसी अन्य व्यक्ति के हाथ मे । 100 रु खर्चा करने के लिए दिया गया हो । तब भी एम बी कार्ड उपयोगी व्यक्ति । एम बी कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता ।

उदाहरण

1. माना कि । सुरेश । बाजार जाने मे । असमर्थ है । वह रमेश से । 100 रुपया के । फल मंगाना चाहता है । तो सुरेश । अपने कार्ड के । खर्चा बाक्स मे । 100 रु जमा करके । कार्ड । रमेश को देगा । 100 रुपया के । फल लाने के लिए ।
2. तब रमेश बाजार मे । सुरेश के कार्ड के । खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रुपया ही । खर्चा कर सकता है । भले ही कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा हो ।
3. और सुरेश के कार्ड के । धन जमा बाक्स का । धन सुरक्षित भी रहेगा ।

एम बी कार्ड नकल सम कार्ड

1. एम बी कार्ड का । नकल सम कार्ड बनेगा ।
2. एम बी कार्ड का नकल सम कार्ड । व्यक्ति के मदद के लिए उपयुक्त होगा ।

एम बी कार्ड के नकल सम कार्ड का धन जमा बाक्स

1. एम बी कार्ड के नकल सम कार्ड मे । 1 धन जमा बाक्स होगा ।
2. एम बी कार्ड के नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स मे । कितना भी धन जमा करके । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने से । बिना अपना पर्सनल कोड नं डाले । धन जमा बाक्स नहीं खुलेगा ।

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

3. एम बी कार्ड के नकल सम कार्ड के । धन जमा बाक्स में अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद भी । धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा किया जा सकता है । जो एम बी कार्ड । और नकल सम कार्ड में प्रदर्शित होगा ।
4. एम बी कार्ड य नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स में । अपना पर्सनल कोड नं डालकर । लाक कर देने के बाद । कोई दूसरा व्यक्ति । एम बी कार्ड य नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स को खोल कर । धन नहीं ले सकता ।
5. एम बी कार्ड के नकल सम कार्ड में । जमा किया हुआ धन सिर्फ । धन जमा बाक्स में ही जमा होगा । खर्चा बाक्स में जमा नहीं होगा ।

एम बी कार्ड का नकल सम कार्ड खर्चा बाक्स

1. एम बी कार्ड का कार्ड के नकल सम कार्ड में । 1 खर्चा बाक्स होगा ।
2. कार्ड के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स में । यदि 100 रु रखा गया है । तो नकल सम कार्ड से 100 रु से अधिक खर्चा नहीं होगा । भले ही । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा हो ।
3. और नकल सम कार्ड उपयोगी व्यक्ति । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स से । जमा धन की जानकारी भी नहीं ले सकता है ।

उदाहरण

1. माना कि सुरेश । बाजार जाने में असमर्थ है । वह रमेश से 100 रु के । फल मंगाना चाहता है
2. तो सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स में । 100 रु जमा करके । नकल सम कार्ड । रमेश को देगा । 100 रु के फल लाने के लिए ।
3. तब रमेश बाजार में । सुरेश के नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स से । सिर्फ 100 रु ही खर्चा कर सकता है । भले ही । नकल सम कार्ड के धन जमा बाक्स में । कितना भी धन जमा हो ।
4. यदि रमेश को बाजार में । अधिक धन की जरूरत है । तो जब सुरेश । अपने के कार्ड से । अपने सम कार्ड के खर्चा बाक्स में । धन जमा करेगा । तभी रमेश । सुरेश के सम कार्ड से अधिक धन खर्चा कर सकता है ।
5. यह प्रक्रिया कभी भी की जा सकती है ।
6. तब बाजार जाने में असमर्थ सुरेश । अपने के कार्ड के । नकल सम कार्ड के खर्चा बाक्स में । 100 रु जमा करके । रमेश से । 100 रु के फल मंगा सकता है ।
7. और सुरेश के धन जमा बाक्स का धन । सुरक्षित भी रहेगा ।

सेवा निवृत्ती पर यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव है तो

1. एम बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई प्राइवेट नौकरी करता है । तो सेवा निवृत्ती के समय । प्राइवेट नौकरी पर भारत सरकार का अधिकार होगा ।

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

2. एम बी कार्ड धारक के । सेवा निवृत्त के समय व्यक्ति । यदि कोई दुकान करता है । य कोई भी ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचा जाना संभव है ।
3. तो एम बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । दुकान य व्यापार को । भारत सरकार व्दारा । किसी जरूरत मंद । पी बी कार्ड धारक व्यक्ति को । दुकान य व्यापार बेच दिया जायेगा ।
4. बेच का धन । खरीदने वाले व्यक्ति के बी कार्ड से । सेवा निवृत्त बेचने वाले के । एम बी कार्ड मे जमा होगा ।
5. और फिर एम बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । एम बी कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और एम बी कार्ड हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

सेवा निवृत्ती पर यदि व्यक्ति का व्यापार बेचा जाना संभव नहीं है तो

1. यदि एम बी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति । किसी भी अन्य कार्ड से । कोई ऐसा व्यापार करता है । जिसे बेचना संभव नहीं है ।
2. तो उस व्यापार पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । भारत सरकार किसी योग्य व्यक्ति को । वह व्यापार । प्रति माह उचित भाडे पर । चलाने को दे सकती है ।
3. और व्यापार चलाने वाला व्यक्ति । भारत सरकार को व्यापार चलाने का । प्रति माह उचित भाडा देगा । जो भारत सरकार के एन कार्ड मे जमा होगा ।
4. और व्यापार चलाने व्यक्ति । सेवा निवृत्त व्यक्ति को । प्रति माह उचित रायल्टी देगा । जो सेवा निवृत्त व्यक्ति के पी कार्ड मे जमा होगी ।
5. फिर सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी अन्य कार्ड से सारा धन । पी कार्ड मे स्थान्तरित होगा । और कोई भी अन्य कार्ड । हमेशा के लिए बन्द हो जायेगा ।

प्रथम बैंक का कर्जा चुकता

1. यदि एम बी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति के । किसी भी कार्ड से । भारत मे । किसी भी बैंक का कर्जा बाकी है । तो पी कार्ड से । प्रथम बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
2. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा बाकी रहता है । तो रायल्टी धन से । प्रथम प्रति माह बैंक का कर्जा । ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
3. उसके बाद भी । यदि बैंक का कर्जा । बाकी रहता है । तो पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से । मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे से । प्रथम बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता किया जायेगा ।
4. बैंक का कर्जा ब्याज के साथ । चुकता होने के बाद । व्यापार चलाने वाले व्यक्ति से मिलने वाला । प्रति माह उचित भाडे पर । भारत सरकार का अधिकार होगा । जो भारत सरकार के एन कार्ड मे जमा होगी ।

जीसियो नियम फार्मूला एम बी कार्ड यानी मीडिया ब्यापार कार्ड

5. उसके बाद बचे हुये धन को । पी कार्ड धारक सेवा निवृत्त व्यक्ति । उपयोग कर सकता है ।
6. लेकिन पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के । 5000 रु प्रतिमाह मिलने वाली पेंशन पर । सेवा निवृत्त व्यक्ति के जीवित रहने तक । सेवा निवृत्त व्यक्ति का । अधिकार होगा ।
7. और सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यू पश्चात् । भारत सरकार का अधिकार होगा ।
8. पी कार्ड धारक । सेवा निवृत्त व्यक्ति के मृत्यू पश्चात् । रायल्टी बंद हो जायेगी । और रायल्टी धन बैंक को मिलना बंद हो जायेगा ।
9. और सेवा निवृत्त व्यक्ति का । पी कार्ड बन्द हो जायेगा ।
10. इस तरह व्यक्ति 60 वर्ष के बाद का जीवन । आराम से सुख पूर्वक । ऐश करते हुए गुजारेगा ।

जय विश्व अग्रणी भारत की